



जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय  
जबलपुर

विषय-राज्य शासन के कर्मचारियों को देय यात्रा भत्तों की दरों में संशोधन।

शासन का आदेश क्र.एफ. 4-2/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक- 5 नवम्बर, 2016 के अनूपालन में शासन के नियमानुसार संशोधित यात्रा भत्ता आदेश ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अंगिकृत कर पृष्ठांकित किया जाता है-

पृ.कमांक - ले.नि./वित्त/2017-18/५२२/ दिनांक ७/१५/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित -

1. कुलसचिव, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
2. समस्त अधिष्ठाता संकाय/महाविद्यालय, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर
3. समस्त संचालक/सहसंचालक/वरिष्ठ वैज्ञानिक/वैज्ञानिक, ज.ने.कृ.वि.वि....
4. समस्त विभागाध्यक्ष, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, .....
5. कार्यपालन यंत्री/इंचार्ज विश्वविद्यालय मुख्यालय पुस्तकालय, ज.ने.कृ.वि.वि....
6. संचालक/उपसंचालक/सहा.संचालक/वरिष्ठ अंकेक्षक, समस्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा जबलपुर/रीवा/सागर/टीकमगढ़/नरसिंहपुर/दमोह/पन्ना/सतना सीधी/ वारा सिवनी।
7. समस्त आहरण एवं सप्लायर अधिकारी ज.ने.कृ.वि.वि....
8. निज सचिव, कुलपति जी/कुलसचिव, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर

संलग्न- शासन आदेश

कुलपति जी के आदेशानुसार

लेखानियंत्रक

1.5.17

Acck

31/7/2017

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वत्सलभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-2/2016/नियम/चार  
प्रति,

दिनांक 05 नवम्बर, 2016

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त कमिश्नर  
समस्त कलेक्टर  
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य शासन के कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ते की दरों में संशोधन ।

संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 11-12/2010/नियम/चार, दिनांक 5 सितम्बर 2012.

राज्य शासन के कर्मचारियों/अधिकारियों को देय यात्रा भत्ता की दरों एवं देय भत्तों का निर्धारण वित्त विभाग के सन्दर्भित आदेश दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा किया गया है।

2/ वर्ष 2012 के पश्चात मंहगाई में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए संदर्भित आदेश को अधिक्रमित करते हुए पुनरीक्षित दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-

(1) कर्मचारियों/अधिकारियों का वर्गीकरण - मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले ग्रेड वेतन के आधार पर शासकीय सेवकों को यात्रा भत्ता के समस्त प्रयोजनों हेतु निम्नानुसार 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :-

श्रेणी	ग्रेड वेतन
ए	₹ 7600 एवं अधिक
बी	₹ 6600 एवं अधिक पर ₹ 7600 से कम
सी	₹ 4200 एवं अधिक पर ₹ 6600 से कम
डी	₹ 2400 एवं अधिक पर ₹ 4200 से कम
ई	₹ 2400 से कम

(2) वाहन भत्ता - ऐसे शासकीय सेवकों को जिन्हें अपने मुख्यालय पर या निकटस्थ क्षेत्रों में शासकीय कार्य से स्वयं के वाहन अथवा सवारी के दूसरे साधन से यात्रा करनी पड़ती है जिसके लिये उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होती है, ऐसी यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 12 के अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ते के रूप में देय वाहन की दरें निम्नानुसार पुनरीक्षित की जाती हैं :-

(₹ प्रतिमाह)

शासकीय कर्तव्य पर तय दूरी मासिक औसत (किलोमीटर)	स्वयं की मोटरकार से	सवारी के दूसरे साधन से एक हॉर्स पावर या उससे अधिक शक्ति के वाहन से
201 से 300	925	375
301 से 450	1400	500
451 से 600	1700	625
601 से 800	2000	750
800 से अधिक	2500	850

राज्य के भीतर प्रमुख नगरों के लिए सरकारी वायुसेवा के प्रस्ताव हेतु जारी विस्तृत विवरण के निर्देश क्रमांक एक 4-5/2011/निचम/चार, दिनांक 27-8-2011 के अनुसार ऐसे अधिकारी जिनका ग्रेड वॉलन 6600 या अधिक है, ऐसी सरकारी वायु सेवा (राज्य के भीतर) के पात्र होंगे। माननीय मंत्रीगणों को हवाई वाहन की एंजिनियरिंग क्लास / विमानन क्लास से हवाई यात्रा की पात्रता होगी।

शुभ	हवाई यात्रा	रत्नागिरी में यात्रा	वस से यात्रा
1	2	3	4
प	इकानामी	समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
ब	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एवं एक्जीक्यूटिव श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
स	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एवं एक्जीक्यूटिव श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
ई	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, एक्जीक्यूटिव श्रेणी एवं वातानुकूलित श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	वातानुकूलित इलेक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी
इ	नहीं	केवल स्लीपर तथा गैर वातानुकूलित कर्सीयान	वातानुकूलित इलेक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी

(4) यात्रा के साधन - लोक वाहक के साधनों से यात्रा करने हेतु निम्नानुसार मानवीय निर्धारित की जाती है :-

श्रेणी	साधारण दर	प्रदेश के चार बड़े नगरों (भापाल, देवर, जबलपुर, गालियर) एवं प्रदेश के वाहक के स्थानों के लिए विशेष दर	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चण्डीगढ़, देहरादून, अहमदाबाद कामगुर
1	2	3	4
प	250	375	500
ब	200	300	400
स	150	225	300
ई	125	185	250
इ	85	130	175

(5) प्रतिदिन

(3) टिकट भरण - यात्रा भरण नियमों के अनुसार देय दैनिक भरण (प्रत्येक नियम 30), मुख्यतः भरण (प्रत्येक नियम 25 की दर) (विशेष विवरण भरण (देखें नियम 55-ए अनुसार) को समर्थित किया गया था। समर्थित धनक भरण की दर पुनरीक्षण कर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

टीप-उक्त नासिका के कॉलम-6 अर्न्तगत शासकीय प्रवास पर प्रत्येक राज्य पदवी विकास निगम के इलेक्ट्रॉनिक डेटा में उपरीक्त दरों पर केवल एक कक्ष उपलब्ध रहेगा। श्रेणी 'सी', 'डी', 'ई' एवं 'ई' के शासकीय सेवक के शासकीय प्रवास पर ए.सी.कक्ष में ठहरने पर उन्हें उनकी नियमित श्रेणी अर्न्तगत ही प्रतिपूर्ति की जावेगी एवं अन्तर की राशि शासकीय सेवक के द्वारा ही वसूल की जाएगी।

श्रेणी	इलेक्ट्रॉनिक डेटा, कालकमा, चंडी, बालीर, बंदा, चण्ड, अहमदाबाद, कानपुर एवं पूर्ण	प्रदेश क 4 वई नारा, यथा (उत्तर, मध्या, पश्चिम) एवं जयपुर (गणित) एवं प्रदेश के बाहर के कॉलम 2 का (डिस्क) स्थानों में शैल में ठहरने पर	प्रदेश क अन्तर अन्य स्थानों में शैल में ठहरने पर	प्रदेश क बाहर / विदेश में मिय प्रवास में मिय शैल/माटल के निम्न नाम के म.प्र.पदवी विकास परिषद
1	2	3	4	5
ए	5000	3750	2500	500
बी	3750	2800	1875	450
सी	2500	1875	1250	375
डी	1250	925	625	300
ई	625	475	300	250

(₹ प्रतिदिन)

(6) ठहरने की प्रकृति - यात्रा के दौरान, ठहरने की सुविधा को पुनरीक्षण करने हेतु अधिकारि/कर्मचारी/श्रेणी अर्न्तगत निम्नानुसार प्रकृति निर्धारित की जाती है:-

क्र	शासकीय सेवक की श्रेणी	माँल प्रती की दर प्रति दिन/माँल ₹	प्रती निर्धारित ₹ में	4
1	ए श्रेणी के ₹ 7600/- एवं उससे अधिक ग्रेड बोनस पान वाले कार्यपालक परी पर नियुक्त अधिकारी, निम्न शासकीय वाहन आवंटित नहीं है, को निजी मोटरकार से यात्रा करने पर (मिय को कार सम्पत्ति नहीं है)	6/-		
2	एपी श्रेणी के शासकीय सेवक द्वारा निजी मोटर साइकल अथवा स्कूटर से यात्रा करने पर	2.50/-		
3	शासकीय सेवक के द्वारा अन्य साधन से शासकीय यात्रा करने पर	1.25/-		600/-

(5) माँल प्रती - एक निगम 25 के अन्तर्गत रोज के वाहन से यात्रा करने पर माँल प्रती को पुनरीक्षण परे निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

(7) प्रदेश के बाहर की यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन व्यव -

राज्य के बाहर दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, चेन्नई, बेंगलूर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं गुण में शासकीय कार्य से स्थानीय यात्राओं हेतु पात्रता में निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(₹ प्रतिदिन)

क्र.	शासकीय सेवक की श्रेणी.	स्थानीय परिवहन हेतु प्रति यात्रा अधिकतम राशि (₹ में)	परिवहन की व्यवस्था एवं किराए पर दिये जाय (₹ में)
1	2	3	4
1	ए	1500	325
2	बी	1000	250
3	सी	625	185
4	डी	375	125
5	ई	185	60

(8) स्थानान्तरण पर घरेलू सामान का परिवहन - शासकीय सेवक के जनहित में स्थानान्तरण पर निजी सामान की ढुलाई के लिए निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती हैं :-

क्रमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	स्वीकृत दर ₹ प्रति किलोमीटर
1	"ए" एवं "बी"	25
2	"सी" एवं "डी"	15
3	"ई"	10

(9) स्थानान्तरण अनुदान - शासकीय सेवक का जनहित में स्थानान्तरण होने पर घरेलू सामान को बांधने, खोलने, ट्रक में चढ़ाने एवं उतारने के लिए एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-


(राशि ₹ में)

क्रमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	पुनरीक्षित दर
1	ए	3750
2	बी	3000
3	सी	2250
4	डी	1500
5	ई	1125

3/ यह आदेश दिनांक 01-11-2016 या उसके पश्चात की गई यात्राओं पर लागू होगा ।

4/ मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियमों के संबंधित पूरक नियमों में यथा आवश्यक संशोधन पृथक से जारी किए जावेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(अनिरुद्ध मुकुर्जी)

सचिव

म.प्र. शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा क्रमांक : एफ 4-2/2016/नियम/चार  
प्रतिलिपि:-

दिनांक 05 नवम्बर, 2016

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. महालेखाकार (लेखा और हकदारी ) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
4. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जवलपुर
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
7. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
8. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
11. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जवलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
13. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
14. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
15. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
16. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी ) मंत्रालय, भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
25. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
26. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल ।
27. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
28. गार्ड फाईल

को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अर्पित ।

(अजय सिंह)

उप सचिव

म.प्र.शासन, विन विभाग